न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2019

अपीलांट

उकाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति साटिया निवासी बिठु, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मांगीलाल गोदपुत्र भुण्डाराम जाति राईका, निवासी बिठु तहसील रोहट जिला पाली।
2. जोगाराम पुत्र अचलाराम जाति साटिया, निवासी बिठु तहसील रोहट जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली(राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दौलत मकवाना, नौरतन चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से
3. श्री मनोहर दास वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.04.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 92–ए, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी पटवार मंडल बीठू सरहद मौजा बीठू खसरा नंबर 243/68 रकबा 15 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा है। अत अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा पेनल्टी प्रति वर्ष के हिसाब से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मई 2015 से कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी को दिलाया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने सर्वप्रथम जोगाराम को प्रतिवादी बनाया, तत्पश्चात जोगाराम से वाद में सहमती लेकर जोगाराम को पक्षकार से हटाया, उसके पश्चात अपीलांट को बिना नोटिस तामिल कराये वादग्रस्त आराजी के संबध में आदेश 06 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी कमिश्नर रिर्पोट बाबत आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के स्टाफ द्वारा अपीलांट का वकालतनामा पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया। उसके पश्चात अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार–बार प्रकरण में सुनवाई बाबत उपस्थित हुए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के स्टाफ द्वारा कई बहाने बनाये गये। एवं अपीलांट को फर्जी पेशियां दी गई। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा शिकायत करने की धमकी पर अपीलांट को जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी दी गई। जो कि पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त अपीलांट खसरा संख्या 243/68 पर अवैध काबिज है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में यह अंकन नहीं किया गया है कि अपीलांट की भूमि कहा है। अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी पर ही काबिज है। किन्तु अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उक्त कथन का साबित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना की जाती है तो अपीलांट को गंभीर नुकसान होगा। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी हक व अधिकार की भूमि है, उपरोक्त भूमि को नुकसान पहुचाने मात्र की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जहां तक अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय कार्यवही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। किन्तु जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने की धमकी देने लगे तब अपीलांट पाली गया एवं अधिवक्ता से संपर्क करने के पश्चात दिनांक 01.04.2019 को नकले लेकर पाली आकर अधिवक्ता से अपील हेतु सम्पर्क किया। तब अधिवक्ता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपील रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 92–ए, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी पटवार मंडल बीठू सरहद मौजा बीठू खसरा नंबर 243/68 रकबा 15 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा है। अत अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा पेनल्टी प्रति वर्ष के हिसाब से मई 2015 से कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी को दिलाया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। खसरा नंबर 241 अपीलांट उकाराम की खातेदारी आराजी है। एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नबर 243/68 रकबा 15 बीघा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी है। जिस पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श–1 लगाय प्रदर्श–7 प्रस्तुत किये गये। एवं गवाहान पीडबलू–1 पीडबलू–2 के बयान कराये गये जिन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना ताईद किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न मौका रिर्पोट दिनांक 03.06.2018 मे यह स्पष्ट अंकन है कि "खसरा नंबर 241 के खातेदारो का खसरा नंबर 241 व 242 के मध्य खसरा नंबर 243/4 की भूमि में अनाधिकृत कब्जा है" जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी में अनाधिकृत रूप से काबिज है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाने का निवेदन किया। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को लोक अदालत कैम्प का नोटिस जारी हुआ। जो कि अपीलांट के पुत्र कानाराम द्वारा तामिल प्राप्त हुआ जो पत्रावली में संलग्न है। उसके पश्चात अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलांट उकाराम स्वंय द्वारा दिनांक 17.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में होने वाली समस्त कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। किन्तु अपीलांट द्वारा जानबूझकर हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है, जो कि क्षमा योग्य नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण गुणवागुण पर मजबूत होने से प्रकरण का निर्णय गुणवागुण पर पारित किया जाना उचित समझते है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है। अब जहां तक हस्तगत प्रकरण में गुणवागुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 92–ए, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी पटवार मंडल बीठू सरहद मौजा बीठू खसरा नंबर 243/68 रकबा 15 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा है। अत अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा पेनल्टी प्रति वर्ष के हिसाब से मई 2015 से कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 01/वादी को दिलाया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिर्पोट के आधार पर पारित किया गया है जिसमे यह स्पष्ट अंकन है कि अपीलांट उकाराम रेस्पोडेन्ट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

01 मांगीलाल की खातेदारी आराजी में अनाधिकृत रूप से काबिज हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहो ने उक्त कथन की पुष्टि की हैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए कानूनी बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती हैं। एवं सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2018 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली